Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

मार्च (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 3
- छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों की जाँच के लिये नई नोडल एजेंसी 4
- प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की 5
- कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को नकद हस्तांतरण 6
- BPCL छत्तीसगढ़ में CBG संयंत्र शुरू करेगी 7
- आर्थिक अपराध ब्यूरो की छूट के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नियम 8
- CCI ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंज़ूरी दी 8

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बड़े खतरे के कारण प्रकृति को बचाने के लिये और अधिक उपायों एवं प्रयासों का आह्वान किया गया।

- कॉन्क्लेव का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तकनीकी सहयोग से किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- आयोजन के दौरान, मुख्यमंत्री ने अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे, चक्रवाती वर्षा और मौसमी बदलावों को देश एवं विश्व दोनों को प्रभावित करने वाली मूर्त अभिव्यक्तियों के रूप में उद्धृत करते हुए जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को रेखांकित किया।
    - CM ने प्रकृति, हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इन चुनौतियों से निपटने के लिये रणनीति बनाने पर ज़ोर दिया।
- कॉन्क्लेव के दौरान, मुख्यमंत्री ने 'जलवायु परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना' भी लॉन्च की और बस्तर में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं पर 'एनशियंट विसडम' नामक पुस्तक का अनावरण किया।
- उन्होंने वर्ष 2015 के पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताया और वैश्विक स्तर पर सहयोग जारी रखने का आग्रह किया।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, नीति निर्माताओं और आदिवासी समुदायों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान एवं चर्चा को सुविधाजनक बनाना है।

पारिस्थितिक सुरक्षा फाउंडेशन (FES)

- यह आनंद, गुजरात में स्थित एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन है।
- वर्ष 2001 में गठित, यह सतत् और न्यायसंगत विकास की नींव है।
- यह जहाँ आवश्यक हो, देश में पारिस्थितिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया और भूमि, वन एवं जल संसाधनों के संरक्षण को मजबूत करने, पुनर्जीवित करने या पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जिसे वर्ष 2015 में अपनाया गया था। इसे UNFCCC COP21 में अपनाया गया था।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की महत्त्वाकांक्षा है।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक पूर्व समझौता था।
- पेरिस समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के अपने प्रयासों में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिये मिलकर कार्य करने हेतु देशों के लिये एक रूपरेखा निर्धारित करता है।
- पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक देश को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए,प्रत्येक 5 वर्ष में अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) को प्रस्तुत एवं अद्यतन करना आवश्यक है।
    - NDC देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिये की गई प्रतिज्ञा है।

छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों की जाँच के लिये नई नोडल एजेंसी

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के मामलों की जाँच के लिये एक नई नोडल एजेंसी के रूप में राज्य जाँच एजेंसी (SIA) का गठन करेगी।

मुख्य बिंदु:

- यह एजेंसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के साथ समन्वय के लिये राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  - इसके लिये एक पुलिस अधीक्षक समेत कुल 74 नये पद सृजित किये गए हैं।
- एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वह कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को खरीफ वर्ष 2023 में खरीदे गए धान की मात्रा के आधार पर प्रति एकड़ 19,257 रुपए की दर से अनुदान प्रदान करेगी।
- वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक आपातकाल की अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (MISA), 1971 के तहत जेल गए लोगों के लिये पेंशन योजना की बहाली भी शुरू की।
  - एक माह से कम समय के लिये हिरासत में लिये गए लोगों को 8,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे, एक से पाँच महीने हिरासत में लिये गए लोगों को 15,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे और पाँच महीने या उससे अधिक समय के लिये हिरासत में लिये गए लोगों को 25,000 रुपए प्रति माह दिये जाएंगे।
- कैबिनेट ने "लोक कल्याण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग की सुविधा और सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिये" सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन की भी घोषणा की।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - किसी देश में संघीय एजेंसियों का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, जो गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
  - NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था।
- NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच अपने हाथ में लेने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के पार मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।

कृष्णोन्नति योजना

- भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2005 में हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना शुरू की।
- सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है।
- यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाने पर केंद्रित है।
- इसमें एक ही योजना के तहत 11 योजनाएँ और मिशन शामिल हैं:
  - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
  - सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA)

नोट :

- कृषि विस्तार पर प्रस्तुतीकरण (SMAE)
- बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)
- पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उप-मिशन (SMPPQ)
- कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना (ISACES)
- कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC)
- कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)

आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का रखरखाव

- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) का रखरखाव वर्ष 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था जो बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता था - व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन हिरासत, वारंट के बिना संपत्ति की खोज और ज़ब्ती एवं वायरटैपिंग - नागरिक व राजनीतिक अव्यवस्था को शांत करने में भारत में, साथ ही विदेश-प्रेरित तोड़फोड़, आतंकवाद, छल-कपट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करना।
- बाद में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल (वर्ष 1975-1977) के दौरान कानून में कई बार संशोधन किया गया और राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिये इसका प्रयोग किया गया।

प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदन' योजना का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  - 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों (विवाहित महिलाओं) के बैंक खातों में जमा की गई थी।
- इस योजना की परिकल्पना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मज़बूत करने के लिये की गई है।
- यह योजना राज्य की उन सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है।
  - विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएँ भी इस योजना के लिये पात्र होंगी। इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

- इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
- DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे- बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- DBT के तहत योजनाएँ: DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- आधार अनिवार्य नहीं: DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को नकद हस्तांतरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों, मुख्य रूप से धान की खेती करने वालों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिये 'कृषक उन्नति योजना' शुरू की और योजना के तहत 2.472 मिलियन किसानों को 13,320 करोड़ रुपए जारी किये।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2023-24 खरीफ सीज़न के लिये धान की खरीद 1 नवंबर से 4 फरवरी के बीच हुई थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2.4 मिलियन से अधिक किसानों से लगभग 145 लाख मीट्रिक टन (MT) धान खरीदा गया था।
- सामान्य ग्रेड धान के लिये MSP 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड A धान के लिये 2203 रुपए था।
- MPS से अंतर की राशि किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इनपुट सहायता के रूप में दी गई।
- राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को दो वर्षों (2014-15 और 2015-16) के लिये 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस भी दिया।

नोट: धान की खरीद मूल्य तय करने और मिल्ड चावल के व्यापार के लिये चावल की किस्मों को आकार लंबाई: चौड़ाई (L:B अनुपात) के आधार पर 'ग्रेड A' तथा 'सामान्य' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

BPCL छत्तीसगढ़ में CBG संयंत्र शुरू करेगी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने राज्य में संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिये छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण और रायपुर व भिलाई के नगर निगमों के साथ साझेदारी की है।

मुख्य बिंदु:

- रायपुर और भिलाई में अत्याधुनिक सुविधाएँ स्थापित करने के लिये प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करना है।
  - प्रतिदिन 100-150 टन की प्रसंस्करण क्षमता वाले नियोजित CBG संयंत्र, प्रतिदिन लगभग 200-250 मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करेंगे।
- इस प्रयास का उद्देश्य न केवल एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, बल्कि सालाना लगभग 60,000 मानव-दिवस रोज़गार सृजन करने की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक प्रणाली है जो डिज़ाइन से पुनर्स्थापनात्मक या पुनर्योजी है।
- यह पहल उपोत्पाद के रूप में जैविक उर्वरक का उत्पादन करेगी, जो जैविक कृषि और सतत् कृषि की दिशा में राज्य के प्रोत्साहन का समर्थन करेगी।

संपीड़ित बायोगैस (CBG)

- अपशिष्ट/बायोमास स्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशी का गोबर, गन्ना प्रेस मिट्टी, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट, आदि अवायवीय अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन करते हैं।
- बायो-गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), जल वाष्प को हटाने के लिये शुद्ध किया जाता है और संपीड़ित बायोगैस (CBG) के रूप में संपीड़ित किया जाता है, जिसमें मीथेन (CH_4) की मात्रा 90% से अधिक होती है।
- CBG में CNG के समान कैलोरी मान और अन्य गुण हैं तथा इसलिये इसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- इस प्रकार, देश के भीतर बायोमास की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में CNG की जगह ले सकता है।

जैव ईंधन

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित या कभी जीवित रही सामग्री) से एक कम समयावधि (दिन, सप्ताह या माह) में उत्पन्न किया जाता है, जैव ईंधन कहा जाता है।
- जैव ईंधन ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं।
  - ठोस जैव ईंधन में लकड़ी, शुष्क पादप सामग्री और खाद शामिल हैं।

नोट :

- तरल जैव ईंधन में बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल शामिल हैं।
- गैसीय जैव ईंधन में बायोगैस शामिल है।
- इनका उपयोग डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा परिवहन, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है। साथ ही इनका इस्तेमाल विद्युत और ऊष्मा उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है।
- जैव ईंधन की ओर संक्रमण तेल की बढ़ती कीमतों, जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और किसानों के लाभ के लिये उनके कृषि फसलों से ईंधन प्राप्त करने में रुचि जैसे कारणों से प्रेरित है।

आर्थिक अपराध ब्यूरो की छूट के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट देते हुए 7 नवंबर, 2006 की अधिसूचना कथित अधिनियम की धारा 24(4) के पहले प्रावधान का खण्डन करती है।

मुख्य बिंदु:

- निर्णय के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सरकार को उक्त ब्यूरो द्वारा की गई संवेदनशील और गोपनीय गतिविधियों से संबंधित जानकारी को छोड़कर, ब्यूरो से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जानकारी को रोकने की अनुमति नहीं दे सकती है।
  - इस फैसले के आलोक में न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
- 15 नवंबर, 2016 को RTI कार्यकर्त्ता और याचिकाकर्त्ता ने एक आवेदन दायर कर आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो से जानकारी मांगी थी।
  - जवाब में आर्थिक अपराध विभाग ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार ने 7 नवंबर, 2006 को जारी अधिसूचना के जरिये एजेंसी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से छूट दे दी है।
  - इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए, RTI कार्यकर्त्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) में उल्लेख है कि किसी भी संस्थान को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी प्रदान करने से छूट नहीं दी जा सकती है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधायी ढाँचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2005 में अधिनियमित इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया है।
- RTI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, मौजूदा कानूनों अथवा इस अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से स्थापित किसी भी समझौते के साथ किसी भी विरोधाभास के बावजूद प्रभावी होंगे।

CCI ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदुः

- अडानी पावर लिमिटेड (अधिग्रहणकर्त्ता), अडानी समूह का एक हिस्सा जो भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है।
  - यह भारत में ताप विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है
  - यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में ताप विद्युत संयंत्र संचालित करती है।
  - अडानी समूह एक वैश्विक एकीकृत बुनियादी ढाँचा कंपनी है, जो प्रमुख उद्योग क्षेत्रों संसाधनों, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा में कारोबार करती है।
- लैंको समूह का एक हिस्सा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (लक्ष्य) भारत में ताप विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है।
  - यह वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुज़र रहा है।
  - प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्त्ता द्वारा लक्ष्य की 100% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
- राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act), 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

- इसे भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े शोधन अक्षमता सुधारों में से एक माना जाता है।
- इसे ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिये समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा शोधन अक्षमता समाधान के लिये अधिनियमित किया गया था।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)

- भारत में CIRP, IBC द्वारा शासित एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करते हुए कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय संकट को हल करना है।
- इस प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है और ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी का पुनरुद्धार संभव नहीं है, यह संकटग्रस्त कंपनी की संपत्ति का व्यवस्थित परिसमापन सुनिश्चित करता है जिसे कॉर्पोरेट देनदार घोषित किया गया है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :